न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)
पीठासीन अधिकारी श्री संदीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.–.....196..../2023
मोहर लाल पुत्र ख्यालीराम उम्र 66 वर्ष जाति चूड़ा निवासी साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू।
– प्रार्थी –

वंनाम

राजस्थान सरकार जरिए उप तहसीलदार (राजस्व) साहवा तहसील तारानगर।
– अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवनयू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

दिनांक 9/2/24

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1272 तादादी 6.8662 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र ख्यालीराम अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थी का नाम मोहर लाल पुत्र ख्यालीराम सही हैं। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम मोहर लाल है। नाम में भिन्नता होने के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण, फसल बेचान आदि में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। अब प्रार्थी जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने उप तहसीलदार साहवा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु उप तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के नाम दुरूस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना प्रत्र पेश कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1272 तादादी 6.8662 हेक्ट. में प्रार्थी का नाम मोहर लाल पुत्र ख्यालीराम किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उप तहसीलदार साहवा के समक्ष दियें प्रार्थना पत्र को कार्यालय (भू.अ.) नोहर को लिखा जिसमें प्राप्त रिपोर्ट पटवार हल्का दलपतपुरा तह. नोहर के अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाना चाहता है। अब प्रार्थी अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी अपना नाम भंवरलाल पुत्र ख्यालीराम की जगह मोहर लाल पुत्र ख्यालीराम करवाना चाहता है। आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र ख्यालीराम ही दर्ज है। अतः प्रार्थी भंवरलाल पुत्र ख्यालीराम की जगह मोहर लाल पुत्र ख्यालीराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पटवार हल्का दलपतपुरा तह. नोहर की रिपोर्ट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पृष्टि होती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा साहवा तहसील तारानगर के खसरा सं. 1272 तादादी 6.8662 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि भंवरलाल पुत्र ख्यालीराम Delete कर इसके स्थान पर मोहर लाल पुत्र ख्यालीराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति उप तहसीलदार साहवा को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ....9/2/24...... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)
पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)